अध्याय-III

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण

अध्याय-III

प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण

वन विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से पूर्व में ही रोपित वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) हेतु चिन्हित किया। विभाग ने गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) चार्जेज, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज एवं सेंटेज चार्जेज की कम वसूली की।

वन विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया एवं प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।

प्रस्तावना

3.1 राज्य कैम्पा, 2009 पर एमओईएफ के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के कार्यों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अन्तर्गत गैर–वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण को वित्तपोषित करना, देखरेख करना और संवर्धन करना सम्मिलित होगा। यह प्राप्त धनराशि का प्रबंधन करेगा और एकत्र किए गए धन का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के लिए करेगा। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार, प्रयोक्ता एजेंसियों को गैर–वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर दो स्टेजों में पूर्व अनुमोदन देती है–प्रथम सैद्धांतिक या स्टेज I[1] अनुमोदन; तथा दूसरा, सैद्धांतिक (स्टेज I) अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने पर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिये अंतिम या स्टेज II[2] अनुमोदन। अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के स्टेज II (अंतिम) अनुमोदन की शर्तों में से एक यह नियत करती है कि चिन्हित की गयी गैर–वन भूमि[3] या अवनत वन भूमि[4] पर राज्य वन विभाग द्वारा स्टेज II अनुमति निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा और तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेंसी (यूए) द्वारा राज्य कैम्पा निधि में जमा की गयी धनराशि से अनुमोदित योजना के अनुसार अनुरक्षित किया जायेगा।

प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत व्यय

3.2 प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 भारत के लोक लेखा एवं प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के अधीन निधि की स्थापना और उसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सीए, अतिरिक्त सीए, दण्डात्मक सीए, शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण हुई वन की हानि की भरपाई के लिए ऐसी एजेंसियों से वसूल की गयी अन्य सभी धनराशियाँ जमा करने का प्रावधान करता है। राज्य कैम्पा में एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य प्राधिकरण के अनुमोदन से सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

---

1 स्टेज I में, प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी जाएगी जिसमें सामान्य रूप से सीए के लिए समतुल्य गैर–वन भूमि के हस्तांतरण और सीए रोपित करने के लिए धन के प्रावधान से सम्बन्धित शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुपालन के लिए दी जाती हैं।

2 राज्य सरकार से निर्धारित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक अनुमोदन निर्गत किया जाता है, जिसे स्टेज II अनुमति भी कहा जाता है।

3 व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के बराबर गैर–वन भूमि पर सीए रोपित किया जाता है।

4 प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर सीए का रोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।

सीए के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत स्थल–विशिष्ट योजनाओं के लिए किया जाता है। गैर–प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि में व्यपवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य से प्राप्त धन सम्मिलित होती है तथा वन और वन्य जीवन के प्रबंधन में व्यय की जाती है। राज्य कैम्पा में प्राप्त धनराशि एवं उसके व्यय का वर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: राज्य कैम्पा में प्राप्त धनराशि एवं व्यय का वर्ष–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक जमा	कैम्पा कोष में प्राप्त धनराशि	कुल	निधि से कुल व्यय	वर्ष के अन्त में शेष धनराशि
2016-17	146.58	107.88	254.46	127.50	126.96
2017-18	126.96	150.92	277.89	97.66	180.23
2018-19	180.22	161.73	341.95	194.92	147.03
2019-20	147.03	7.71	154.74	120.22	34.52[5]
2019-20[6]	--	1,819.63	1,819.63	62.31	1,757.31
2020-21	--	--	1757.31	252.06	1,505.25
2021-22	--	--	1541.71[7]	362.12	1,179.59
योग		**2,247.87**		**1,216.79**	

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 के अन्त में ₹ 1,179.59 करोड़ के कैम्पा कोष अप्रयुक्त रह गये।

सीए वृक्षारोपण के लिए अवनत वन भूमि की त्रुटिपूर्ण पहचान

3.3 दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.8 (ii) नियत करता है कि गैर–वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत सीए की योजना, स्थल विशिष्ट होनी चाहिए, एवं इसमें वर्ष–वार की जाने वाली संक्रियाओं सहित विस्तृत कार्य अनुसूची सम्मिलित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मेरठ में 17.9668 हेक्टेयर एवं बागपत में 28.3240 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के दो टुकड़े एनएच–334बी (मेरठ–बागपत रोड) के चौड़ीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को व्यपवर्तित (अक्टूबर 2020) किए गए थे। उपरोक्त व्यपवर्तन के सम्बन्ध में, हमीरपुर वन प्रभाग के राठ रेंज के कैथा एवं अंगीठा वन ब्लॉकों में स्थित क्रमशः 73 हेक्टेयर एवं 20 हेक्टेयर की अवनत वन भूमि को सीए के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राज्य कैम्पा में ₹ 3.00 करोड़ जमा किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कैथा आरक्षित वन ब्लॉक की भूमि का कुल क्षेत्रफल केवल 122.0410 हेक्टेयर था, जिसमें से 70 हेक्टेयर (2017–18 में 30 हेक्टेयर, 2018–19 में 20 हेक्टेयर एवं 2020–21 में 20 हेक्टेयर) पर पहले ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण हो चुका था। इस प्रकार, उस वन ब्लॉक में सीए वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 73 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष भविष्य में वृक्षारोपण हेतु केवल 52.0410 हेक्टेयर भूमि ही बची थी।

इस प्रकार, वन विभाग ने 20.959 हेक्टेयर ऐसी भूमि की पहचान की, जिस पर पहले से ही वृक्षारोपण था।

---

[5] तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान धनराशि अप्रयुक्त रही।

[6] 2019–20 में, तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत उपलब्ध निधि को राज्य कैम्पा निधि में हस्तान्तरित कर दिया गया था।

[7] इसमें (1,505.25 + 36.46 = 1,541.71) 2020–21 का समापन शेष एवं वर्ष 2019–20 में बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत अप्रयुक्त पड़ी धनराशि ब्याज सहित सम्मिलित है।

उत्तर (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने कहा कि सीए के लिए अन्य भूमि की पहचान की जाएगी और भारत सरकार से उचित अनुमोदन मांगा जाएगा।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

सीए चार्जेज की कम वसूली

3.4 गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी, जो गैर–वन भूमि पर वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों पर सीए चार्जेज आरोपित करने के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने के अधीन था। अग्रेतर, दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.5 के अनुसार, व्यपवर्तित वन क्षेत्र से दोगुना अवनत वन भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर सीए रोपित किया जायेगा एवं उसका अनुरक्षण किया जाएगा। वन भूमि के व्यपवर्तन के स्टेज I अनुमोदन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, सीए का अनुरक्षण 10 वर्षों के लिए किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से यह चार्जेज जमा किये जायेगे। इन चार्जेज में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उचित प्रावधान भी सम्मिलित किये जा सकते है।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 2014 एवं 2022 के मध्य की अवधि के 20 प्रकरणों में, 10 वन प्रभागों ने स्टेज I अनुमोदनों में निर्धारित शर्तें के अनुसार वृक्षारोपण के अनुरक्षण पर 10 वर्षों के स्थान पर, केवल पाँच से आठ वर्षों तक के लिये ही सीए चार्जेज को गणना में लिया था। इस प्रकार, स्टेज I अनुमोदन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन में, प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 7.50 करोड़ (₹ 0.48 करोड़ के सेंटेज चार्जेज[8] सहित) के सीए चार्जेज आरोपित और वसूले नहीं गये थे **(परिशिष्ट–3.1)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, 2019 के अनुसार वृक्षारोपण के अनुरक्षण हेतु वर्षों के बंधन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, नियमानुसार सात से 10 वर्ष तक अनुरक्षण के लिए धनराशि वसूली गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों को दिए गए स्टेज I अनुमोदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सीए वृक्षारोपण का अनुरक्षण 10 वर्षों तक किया जाना था। अग्रेतर, अन्य मामलो में, अनुरक्षण चार्जेज 10 वर्षों के लिए लगाये गये थे। अतः प्रयोक्ता एजेंसियों से अनुरक्षण धनराशि की कम वसूली की गयी।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 वन प्रभागों ने 2016 एवं 2022 के मध्य की अवधि के दौरान वन भूमि के व्यपवर्तन के 49 प्रकरणों में 1,100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से 2,20,959 वृक्षों के स्थान पर 1,34,001 वृक्षों के लिये सीए की धनराशि की गणना की और चिन्हित अवनत भूमि पर वृक्षारोपण के बाद दस वर्षो तक के अनुरक्षण की गणना की गयी। परिणामस्वरूप, लगाए जाने वाले 86,958 वृक्षों के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 9.80 करोड़ की धनराशि के सीए चार्जेज आरोपित और वसूले नहीं गये **(परिशिष्ट–3.2)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023), विभाग ने कहा कि सीए के सम्बन्ध में स्थल विशिष्ट योजना का प्रावधान दिशा–निर्देश, 2019 के प्रस्तर 2.8 (ii) में दिया गया था, जिसमें प्रावधानित था कि अवनत वन भूमि में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1,000 वृक्ष लगाए जाने थे।

---

[8] उ.प्र. सरकार के आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार सेंटेज चार्ज की दर 6.875 प्रतिशत है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान गैर–वन भूमि पर लागू था जबकि लेखापरीक्षा आपत्ति अवनत वन भूमि से सम्बन्धित है। कार्य योजना के निर्देश के अनुसार, अवनत वन भूमि पर 1,100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाना था। परिणामस्वरूप, सीए चार्जेज के रूप में कम धनराशि प्राप्त हुई।

लागत वृद्धि का प्रावधान कम/नहीं होना

3.5 गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा दी गयी सैद्धांतिक/स्टेज I अनुमोदन में निहित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सीए योजनानुसार प्रचलित श्रम दरों पर सीए की लागत तथा सीए भूमि पर यदि आवश्यक हो तो, सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तंभों के निर्माण की लागत परियोजना प्राधिकरणों द्वारा वन विभाग के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। सीए का अनुरक्षण 10 वर्षों तक किया जायेगा। योजना में आगामी वर्षों हेतु निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जा सकता है।

2016–17 से 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए 26 वन प्रभागों में प्रयोक्ता एजेंसियों की ओर से सीए वृक्षारोपण के 157 प्राक्कलनों की जाँच से, लेखापरीक्षा ने 19 प्रभागों में देखा कि, 55 वित्तीय प्राक्कलनों में वन भूमि के व्यपवर्तन के अनुमोदन की शर्तों के अनुसार आगामी वर्षों में नियोजित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए वृद्धि प्रावधान सम्मिलित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 21 प्रभागों ने आगामी वर्षों में वृक्षारोपण एवं उसके अनुरक्षण के लिए 102 प्राक्कलनों में लागत वृद्धि का कम प्रावधान किया, जिसमें वृद्धि दर प्रति वर्ष[9] एक समान 10 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की सीमा में थी।

इस प्रकार, वन भूमि के व्यपवर्तन के अनुमोदन में निर्धारित प्रत्याशित लागत वृद्धि की वसूली की शर्त के उल्लंघन में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित वृक्षारोपण कार्यों के सम्बन्ध में ₹ 102.77 करोड़ **(परिशिष्ट–3.3)** की लागत वृद्धि धनराशि की वसूली करने में वन विभाग विफल रहा जो सीए वृक्षारोपण के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अधीन निर्गत दिशा–निर्देशों की हस्तपुस्तिका, 2019 के प्रस्तर 2.8 में प्रत्येक वर्ष के लिए लागत वृद्धि की दर के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। सभी सीए प्राक्कलन उचित पाए जाने पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने स्टेज I अनुमोदन में यह निर्धारित किया था कि योजना में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित वृक्षारोपण कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किये जा सकते है, तथापि विभाग द्वारा सीए प्राक्कलन में प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए आवश्यक प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज वसूलने एवं सीएटी योजना लागू करने में विफलता

3.6 एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों (2019) के प्रस्तर 9.2 में कहा गया है कि सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव के साथ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता तक) को छोड़कर विस्तृत कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) योजना अनिवार्य रूप से सम्मिलित

[9] श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए जारी श्रम की न्यूनतम दरों के आधार पर लागत में वार्षिक कम्पाउन्डिंग वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से प्रत्याशित लागत वृद्धि ली गयी है ।

की जाएगी। सीएटी योजना मिट्टी एवं नमी और जल व्यवस्था के प्रबंधन के संरक्षण के लिए स्थल–विशिष्ट जैविक और अभियांत्रिकी उपायों के माध्यम से प्रस्तावित सिंचाई/जल विद्युत परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक योजना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने जून/दिसम्बर 2020 में सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए राप्ती नहर निर्माण खण्ड–I/II, तुलसीपुर, बलरामपुर के लिए 3.571 हेक्टेयर एवं 6.8826 हेक्टेयर के दो टुकड़ों में आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन को अनुमोदित किया। प्रभाग ने आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया और कैचमेंट क्षेत्र के दोनों भागों के उपचार (वनीकरण/वृक्षारोपण) हेतु कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) योजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 32.44 लाख एवं ₹ 87.48 लाख के वित्तीय प्राक्कलन प्रेषित किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएटी योजनाओं के इन प्राक्कलनों में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों हेतु लागत वृद्धि का प्रावधान तथा कार्यों की प्राक्कलित लागत पर सेंटेज चार्जेज सम्मिलित नहीं था। फलस्वरूप, कैम्पा कोष में सीएटी योजनाओं के लिए ₹ 79.73 लाख[10] की धनराशि कम प्रदान की गयी। अग्रेतर, सीएटी योजनाओं के लिए ₹ 1.20 करोड़[11] के प्राक्कलनों के विरुद्ध अब तक (अप्रैल 2023) प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई वसूली नहीं की गयी। सीएटी चार्जेज की वसूली के अभाव में, सीएटी योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के कैचमेंट क्षेत्र को पारिस्थितिक क्षति हुई।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की गयी। अग्रेतर यह भी कहा कि 3.571 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा स्टेज I अनुमोदन में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गयी थी एवं 6.8826 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी से भारत सरकार के स्टेज I अनुमोदन के अनुपालन में सीएटी योजना चार्जेज की वसूली के लिए उच्च स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। अतः कोई सीएटी योजना चार्जेज नहीं लिया गया था। अग्रेतर, सीएटी योजना धनराशि पर सेंटेज चार्ज का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा–निर्देशों (2019) के प्रावधान के अनुसार सीएटी योजना की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा की जानी थी क्योंकि वर्तमान प्रकरणों में वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव विस्तृत सीएटी योजना के साथ होने थे।

निजी उद्यमियों का बिना वन अनुमति के कार्य करना

3.7 एफसी अधिनियम, 1980 के अधीन निर्गत दिशा–निर्देश (2019) के प्रस्तर 4.7 में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार, सरकारी विभागों/निजी प्रतिष्ठानों को प्रत्येक प्रकरण में वन भूमि के 0.1 हेक्टेयर से अधिक व्यपवर्तन न होने पर एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति देने पर सहमत हुई है। यह सामान्य अनुमोदन रेखीय परियोजनाओं के साथ पट्टी वृक्षारोपण में से पहुंच/अभिगम के लिए लागू है जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया गया है और जो वन विभाग के स्वामित्व में नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसियों को मंत्रालय के वेब पोर्टल *एचटीटीपी://परिवेश.एनआईसी.इन* पर राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अग्रेतर, उपरोक्त दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 1.21 (ii) के अनुसार, ऐसे प्रकरणों में जहां वन भूमि को वन अनुमति के पूर्व व्यपवर्तित किया जाता है, उल्लंघन के लिए शास्ति, निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित वास्तविक व्यपवर्तन की तिथि से प्रत्येक वर्ष के उल्लंघन के लिए प्रति

[10] लागत वृद्धि के लिए ₹ 66.98 लाख एवं सेंटेज चार्जेज के लिए ₹ 12.84 लाख ।

[11] ₹ 32.44 लाख + ₹ 87.48 लाख।

हेक्टेयर वन भूमि के एनपीवी के बराबर होगा जो जमा की तिथि तक एनपीवी का अधिकतम पाँच गुना और 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बरेली एवं रामपुर वन प्रभागों में, 15 उद्यमी **(परिशिष्ट–3.4)** सड़क स्थलों पर उस क्षेत्र मे स्थित प्रतिष्ठानों से अपना व्यवसाय चला रहे थे, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। एफसी अधिनियम, 1980 के प्रावधानों अनुसार उद्यमियों को अपने व्यवसायों को आरम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार से अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंच/अभिगम मार्ग के लिए वन अनुमति लेनी आवश्यक थी। लेकिन उद्यमियों ने वन अनुमति प्राप्त करने के लिए न तो वन विभाग से सम्पर्क किया और न ही वन विभाग ने दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई कार्यवाही आरम्भ की सिवाय बरेली प्रभाग में ऐसे निजी उद्यमियों को नोटिस निर्गत किये गये जबकि रामपुर प्रभाग वन भूमि के ऐसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को नोटिस निर्गत करने में भी विफल रहा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे पीएसयू सड़क किनारे रिटेल आउटलेट्स स्थापित करते समय पहुंच मार्ग के लिए वन अनुमति की अनुज्ञा ले रहे थे।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) कहा कि उद्यमियों द्वारा संरक्षित वन भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया, उन्होंने केवल सामुदायिक/सार्वजनिक पथ का उपयोग किया। विभाग ने अग्रेतर कहा कि उद्यमियों से गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने दोहराया कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के लिए गैर वन उपयोग की अनुमति तब स्वीकृत की जाती है, जब प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निजी उद्यमी आईएफए, 1927 के प्रावधान के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में आने वाले पथ का उपयोग मार्ग के अधिकार के रूप में कर रहे थे, जिसे एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार से उचित अनुमोदन के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए थी।

स्टेज I अनुमोदन की शर्तों को पूर्ण किए बिना बांध का निर्माण

3.8 दिशा–निर्देशों, 2019 के प्रस्तर 1.14 में कहा गया है कि यदि किसी परियोजना में वन के साथ–साथ गैर–वन भूमि भी सम्मिलित है तो अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि अवमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक गैर–वन भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि और जिस सीमा तक वन संरक्षण (एफसी) नियमों या उनके अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों द्वारा अनुमति न दी गयी हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ललितपुर वन प्रभाग में, 209.8070 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के पाँच टुकड़ों को जिला ललितपुर में भौंराट बांध के निर्माण के लिए आवश्यक गैर–वन उद्देश्यों हेतु सिंचाई विभाग को व्यपवर्तित किया जाना था। बांध परियोजना हेतु कुल 1266.6800 हेक्टेयर[12] भूमि की आवश्यकता थी। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई निर्माण खण्ड II, ललितपुर ने आरक्षित वन भूमि के उक्त क्षेत्र के व्यपवर्तन हेतु आवेदन[13] किया। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने 9 मई 2018 को प्रयोक्ता एजेंसी के प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन से पूर्व पूर्ण की जाने वाली कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन (स्टेज I) प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसी से सीए, एनपीवी और सीएटी योजना के मद में न तो ₹ 39.95 करोड़ की वसूली की और न ही इस उद्देश्य के लिए सीए भूमि चिन्हित की। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से अग्रेतर देखा कि रेंज अधिकारी–महरौनी ने डीएफओ,

[12] 209.807 हेक्टेयर वन भूमि एवं 1,056.873 हेक्टेयर गैर वन–भूमि।
[13] प्रस्ताव संख्या एफपी/यूपी/आईआरआरजी/17563/2016।

ललितपुर वन प्रभाग को सूचित किया (23 अक्टूबर 2021) कि बांध का निर्माण प्रगति[14] पर था और एक या दो वर्ष के अन्दर पूर्ण होने की संभावना थी। अग्रेतर, नीचे दिखाई गयी 6 अप्रैल 2021 की सैटेलाइट इमेजरी (गूगल अर्थ) **(चित्र 3.1)**, भी यह दर्शाती है कि बांध का निर्माण तेजी से चल रहा था।

चित्र 3.1: जनपद ललितपुर में भौंराट बांध का निर्माण (दिनांक 6 अप्रैल 2021)

इस प्रकार, वन विभाग बांध क्षेत्र में आने वाली आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अंतिम अनुमोदन के बिना बांध के निर्माण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि बांध परियोजना का कार्य, गैर वन भूमि पर आरम्भ किया गया था एवं वन भूमि पर, अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। अग्रेतर यह सूचित किया गया कि सीए, एनपीवी और सीएटी धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी परियोजना में वन के साथ–साथ गैर–वन भूमि भी सम्मिलित है तो अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि अवमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने तक, जब तक कि और जिस सीमा तक एफसी नियमों या उनके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों द्वारा अनुमति न दी गयी हो, गैर–वन भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए। अग्रेतर, बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि को व्यपवर्तित माना जाएगा क्योंकि वह बांध से प्रभावित हो रही थी।

प्रतिपूरक वनीकरण के वृक्षारोपण कार्य पर सेंटेज चार्जेज आरोपित न किया जाना

3.9 उ.प्र. सरकार के आदेश (11 नवम्बर 2014) के साथ पठित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के प्रावधानों के अनुसार राज्य में अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/पीएसयू की ओर से वन विभाग द्वारा किए जाने वाले डिपाजिट कार्य के सम्बन्ध में कार्य की लागत का 6.875 प्रतिशत की दर से सेंटेज लिया जाएगा और सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 26 वन प्रभागों में देखा कि प्रभागों ने 2016–17 से 2021–22 के दौरान सीए के 166 प्रकरणों के प्राक्कलनों को अनुमोदित किया एवं प्रयोक्ता एजेंसियों से मांग की। प्रयोक्ता एजेंसियों ने सम्बन्धित प्रभागों द्वारा की गयी मांग के अनुसार सीए की धनराशि कैम्पा में जमा की। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि

[14] बांध परियोजना जुलाई 2016 से प्रगति पर थी।

प्रभागों ने प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 218.48 करोड़ मूल्य के वृक्षारोपण कार्यों पर की गयी मांग में ₹ 15.02 करोड़ के सेंटेज चार्जेज को सम्मिलित नहीं किया था। यद्यपि, इसे शासनादेश के अनुसार आरोपित किया जाना एवं वसूला जाना आवश्यक था **(परिशिष्ट–3.5)**। इस प्रकार, सीए के प्राक्कलनों में सेंटेज चार्जेज सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप निधि की वसूली नहीं हुई और राजकोष को ₹ 15.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। उल्लेखनीय है कि सात वन प्रभागों[15] ने प्रतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलनों को अनुमोदित करते हुए 25 प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 2.24 करोड़ के सेंटेज चार्जेज को आरोपित किया एवं वसूल किया।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में सेंटेज चार्जेज की वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। कुछ प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सेंटेज चार्जेज लगाये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सीए के लिए चिन्हित क्षेत्र की स्थल विशिष्ट योजना तैयार की एवं सीए के लिए प्राक्कलन भी तैयार किया। सीए की लागत सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वहन की जानी थी क्योंकि वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसियों की ओर से वृक्षारोपण करता है। इस प्रकार, शासनादेश के अनुसार सेंटेज चार्जेज आरोपित करना एवं वसूल किया जाना आवश्यक था।

सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा करने में विफलता

3.10 उ.प्र. सरकार के शासनादेश (25 जनवरी 2011) में निर्धारित किया गया है कि सेंटेज चार्जेज की धनराशि अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वन विभाग के नामित लेखा शीर्ष[16] में जमा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात वन प्रभागों ने 2016–17 से 2021–22 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के 25 प्रकरणों में गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले में ₹ 2.24 करोड़ की धनराशि का सेंटेज चार्जेज आरोपित किया। सेंटेज चार्जेज की उपरोक्त ₹ 2.24 करोड़ धनराशि प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा नामित सरकारी लेखा शीर्ष के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा की गयी थी। लेखा शीर्ष में जमा न किए गए सेंटेज चार्जेज का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: कैम्पा में जमा किये गये सेंटेज चार्जेज

क्र. सं.	वन प्रभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण/अन्य कार्यों के लिए प्राक्कलित व्यय (₹ करोड़ में)	आरोपित सेंटेज चार्जेज (₹ करोड़ में)
1	डीडीएसएफ कैमूर	3	2.37	0.16
2	डीडीएसएफ कानपुर देहात	5	3.48	0.23
3	डीडीएसएफ कानपुर नगर	5	4.25	0.29
4	डीडीएसएफ लखनऊ	1	7.84	0.46
5	डीडीएसएफ मथुरा	1	0.41	0.03
6	डीडीएसएफ मिर्ज़ापुर	9	12.30	0.85
7	डीडीएसएफ श्रावस्ती	1	1.77	0.22
योग		**25**	**32.422**	**2.24**

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त अभिलेख

इस प्रकार, सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा नहीं करने के परिणामस्वरूप राजकोष ₹ 2.24 करोड़ के राजस्व से वंचित रह गया।

[15] कैमूर, कानपुर (डी), कानपुर (एन), लखनऊ, मथुरा, मिर्ज़ापुर और श्रावस्ती।
[16] लेखा शीर्ष 0406-01-800-01/ 0406-02-800-01।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में सेंटेज चार्ज की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं व्यपवर्तन के 25 प्रकरणों में सेंटेज चार्जेज आरोपित किये एवं वसूल किये और इसे सरकार के सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा करने के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा कर दिया था।

प्रयोक्ता एजेंसियों पर एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि आरोपित नहीं किया जाना

3.11 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (मार्च 2008) के अनुपालन में, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने अपने आदेश (5 फरवरी 2009) में गैर–वन उपयोग के व्यपवर्तन के लिये, इको–क्लास और वन भूमि के क्राउन घनत्व के आधार पर, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त की जाने वाली एनपीवी की दरें तय की है। आदेश में यह भी कहा गया है कि एनपीवी की दर तीन वर्ष पश्चात् परिवर्तनाधीन है। अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली ने वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता वाले प्रस्तावों पर स्टेज I अनुमोदन के दौरान शर्त रखी थी कि एनपीवी की दरों में वृद्धि के प्रकरण में, प्रयोक्ता एजेंसियों को एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इस आशय की वचनबद्धता भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी।

एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने एनपीवी दरों को संशोधित (6 जनवरी, 2022) किया जैसा कि **तालिका 3.3** में नीचे वर्णित है ।

तालिका 3.3: संशोधित एनपीवी (प्रति हेक्टेयर) दरें

(धनराशि ₹ में)

इको–क्लास	अत्यंत सघन वन	सघन वन	खुला वन
श्रेणी-I	15,95,790	14,36,670	11,16,900
श्रेणी-II	15,95,790	14,36,670	11,16,900
श्रेणी-III	13,57,110	12,28,590	9,57,780
श्रेणी-IV	9,57,780	8,61,390	6,70,140
श्रेणी-V	14,36,670	12,92,850	10,05,210
श्रेणी-VI	15,16,230	13,72,410	10,69,470

अग्रेतर, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने स्पष्ट किया (मार्च 2022) कि संशोधित दरें उन सभी प्रस्तावों पर लागू होंगी जिन्हें 6 जनवरी 2022 के बाद स्टेज I (सैद्धांतिक रूप से) अनुमोदन दिया गया है तथा उन प्रकरणों में भी जिन्हें स्टेज I अनुमोदन 6 जनवरी 2022 से पूर्व दी गयी थी, जहाँ पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी, स्टेज I अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण स्टेज II/अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गैर–वन उपयोगों के लिए 809.1907 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के आठ प्रकरणों में, जिसमें स्टेज II का अनुमोदन पाँच वर्ष से अधिक (फरवरी 2023) से लम्बित था, एनपीवी की धनराशि ₹ 81.67 करोड़ पूर्व–संशोधित दरों पर आरोपित की गयी थी। तथापि, वन विभाग मार्च 2022 के एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार के आदेश के अनुसार संशोधित दरों पर इन प्रयोक्ता एजेंसियों पर ₹ 43.29 करोड़ **(परिशिष्ट–3.6)** की अतिरिक्त एनपीवी आरोपित करने में विफल रहा, जो राज्य के वन और वन्यजीवन के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि दरों में संशोधन के कारण एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

पट्टा समझौतों का पंजीकृत नहीं किया जाना तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूला नहीं/कम वसूला जाना

3.12 उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश (जुलाई 1999) के अनुसार, गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रयोक्ता एजेंसियों से बाजार दर पर प्रीमियम एवं उस पर 10 प्रतिशत पट्टा किराया लिया जाएगा। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं 49 में कहा गया है कि वर्ष–दर–वर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए अचल सम्पत्ति के पट्टों से सम्बन्धित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। अग्रेतर, भारतीय स्टाम्प (आईएस) अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–बी का अनुच्छेद 35 विभिन्न प्रकार के पट्टों पर वसूले जाने वाले स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करता है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 78 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी पट्टाधारकों द्वारा करना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 वन प्रभागों ने 2016–17 एवं 2021–22 के मध्य 1,065.4614 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 31 प्रयोक्ता एजेंसियों को सैद्धांतिक/अंतिम अनुमोदन के आधार पर पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत बिना पंजीकृत पट्टा अनुबंध हुए हस्तान्तरित कर दिया। अग्रेतर, आईएस अधिनियम, 1899 तथा पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पट्टा दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि उपरोक्त 31 प्रकरणों में वन प्रभागों द्वारा व्यपवर्तित क्षेत्र पर ₹ 104.36 करोड़ मूल्य के भूमि प्रीमियम और पट्टा किराया वसूला नहीं/कम वसूला गया **(परिशिष्ट–3.7)**। इस प्रकार, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क के बिना आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन के परिणामस्वरूप पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा आईएस अधिनियम, 1899 का उल्लंघन हुआ और राजकोष को प्रीमियम/पट्टा किराया (₹ 104.36 करोड़), पंजीकरण शुल्क (₹ 1.21 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹ 2.43 करोड़) के रूप में ₹ 108.00 करोड़ **(परिशिष्ट–3.7)** के राजस्व से वंचित होना पड़ा। अग्रेतर, किसी भी विवाद की स्थिति में, भविष्य में वन विभाग और प्रयोक्ता एजेंसियों के मध्य व्यपवर्तन के नियमों एवं शर्तों का वर्णन करने वाले पंजीकृत दस्तावेज़ के अभाव में यह विवादास्पद स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में कहा कि एफसी अधिनियम, 1980 में पट्टा विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। इसने अग्रेतर कहा कि वन भूमि के स्वामित्व की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह वन विभाग के पास है। ऐसे प्रकरणों में, प्रीमियम/पंजीकरण शुल्क/भूमि मूल्य एवं किराया आदि की वसूली की कोई शर्त नहीं है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जहां भी लागू हो, सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं 49 के साथ पठित उ.प्र. सरकार आदेश (जुलाई 1999) के अनुसार, वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए पट्टा समझौतों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और आईएस अधिनियम, 1899/पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

संस्तुति

3. वन विभाग को प्रतिपूरक वनीकरण के दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करना चाहिए एवं विद्यमान निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज, अतिरिक्त एनपीवी और सेंटेज चार्जेज आरोपित एवं वसूल करने चाहिए।

निष्कर्ष

वन विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से निर्धारित सीए चार्ज, अतिरिक्त एनपीवी एवं सेंटेज चार्जेज की वसूली नहीं की एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रख–रखाव के लिए आगामी वर्षों में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की लागत में वृद्धि की दरों को लागू करने में एकरूपता बनाए नहीं रखी। विभाग ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पट्टा समझौतों को पंजीकृत नहीं किया और प्रीमियम/पट्टा किराया भी कम वसूल किया।